POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 08

मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2015 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

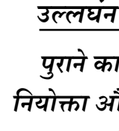

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश को आजाद हुए 68 साल पूरे हो रहे हैं। इन सालों में ग्रामीण विकास को अहमियत देते हुए अरबों-खरबों रुपए खर्च किए गए। लेकिन हाल ही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना रिपोर्ट में गांवों में बसने वाले ग्रामीण परिवारों की जो आर्थिक तस्वीर उभरकर सामने आई है, बेहद चिंताजनक है।

राजस्थान की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार करीब 77.82 फीसदी आबादी गांवों में रह रही है। ग्रामीण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, मनरेगा और अन्य आकस्मिक काम पर आश्रित हैं। गांवों के तीन चौथाई परिवार बेहद गरीबी का दंश झेल रहे हैं। इनकी मासिक कमाई पांच हजार रुपए से भी कम है और वे कर्ज के जाल में जकड़े हैं।

सवाल यह है, महंगाई के बढ़ते इस दौर में प्रदेश के 73 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण परिवार रोज 100 से 170 रुपए में अपना गुजारा कैसे चलाते होंगे? इन परिवारों की आमदनी में तेजी लाने के लिए कृषि विकास के साथ-साथ गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना और दीर्घकालीन आय के स्त्रोत विकसित करना बहुत आवश्यक है।

जनगणना की यह रिपोर्ट गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता और जातीय आरक्षण जैसे कई मुद्दों पर अनेक गंभीर सवाल खड़े करती है। साथ ही निश्चित रूप से यह केन्द्र व राज्य सरकारों के लिए दलीय राजनीति से ऊपर उठकर दूरदर्शिता के साथ गहन चिंतन का विषय है।

बाल श्रम कानून में बदलाव को हरी झंडी

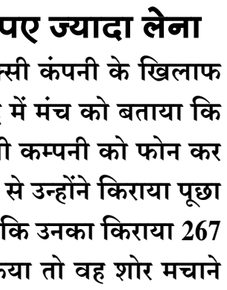

सरकार ने बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कानून में संशोधन के बाद 14 साल से कम उम्र के बच्चे पुस्तैनी कामों में आपका हाथ बंटा सकेंगे। बस शर्त यह है कि काम खतरनाक व जोखिम से भरा नहीं होना चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। इस फैसले से पहले 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के काम में लगाना कानूनन जुर्म माना जाता था।

उल्लघंन करने पर बढ़ेगी सजा

पुराने कानून में बाल श्रम कराने पर नियोक्ता और माता-पिता को दो साल तक की कैद और 20 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था।

प्रस्तावित संशोधन के तहत बाल श्रम का दोषी पाए जाने पर नियोक्ता को तीन साल तक कैद हो सकती है। साथ ही 50 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

- 14 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों में पारिवारिक धंधे, मनोरंजन उद्योग और खेलों के आयोजन में हाथ बंटा सकेंगे। बशर्ते ऐसा कारोबार या उद्योग उनके शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो।
- बच्चे के माता-पिता को ध्यान रखना होगा कि काम करने से बच्चे की पढ़ाई और उसकी सेहत पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है।
- अन्य जगहों पर बाल श्रमिकों को रोजगार में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। संशोधन में खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 साल की उम्र तक के किशोरों के काम पर भी रोक लगाने का प्रावधान है।
- अब माता-पिता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान में कुछ ढील दी गई है। पहली बार उल्लंघन पर माता-पिता को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दूसरी बार उल्लंघन पर दोषी पाए जाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

माई कैब टैक्सी को भारी पड़ा किराये के तीन रुपए ज्यादा लेना

चांदपोल निवासी डॉ. रूपनारायण मीणा ने माई कैब टैक्सी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। अपने परिवाद में मंच को बताया कि उन्होंने 20 जून 2010 को दोपहर 12.45 बजे माई कैब टैक्सी कम्पनी को फोन कर टैक्सी मंगाई। टैक्सी का उपयोग करने के बाद टैक्सी ड्राईवर से उन्होंने किराया पूछा तो उसने 270 रुपए बताए और उसकी रसीद बना कर दी। जबकि उनका किराया 267 रुपए ही बनता था। उन्होंने ड्राईवर को तीन रुपए ज्यादा देने से मना किया तो वह शोर मचाने लगा व उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्हें मजबूर होकर तीन रुपए ज्यादा देने पड़े। इसके बाद उन्होंने कंपनी में इसकी शिकायत भी दर्ज की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने टैक्सी किराए के तीन रुपए ज्यादा वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस माना। मंच ने माई कैब टैक्सी कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता डॉ. रूपनारायण मीणा को 20 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। साथ ही कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह परिवादी से ज्यादा वसूले गए तीन रुपए वापस करे।

बंगले में ही बंट गई गरीबों की राहत

गरीबों को तत्काल राहत देने के लिए मंत्रियों के स्वविवेक अनुदान की राशि उनके बंगलों और स्टाफ के रिश्तेदारों में बंट रही है। इसकी शिकायतों को अधिकारी रफा-दफा कर रहे हैं। मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है। कार्मिक विभाग से इस शिकायत पर जानकारी मांगी गई है।

पिछली सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय के कोष की राशि में गड़बड़ी की शिकायत पहुंची है। उन्होंने बंगले में रहने वालों, कर्मचारियों तथा रिश्तेदारों को इस कोष से राशि बांट दी। कार्मिक विभाग को राशि के बंटवारे को लेकर पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं। लेकिन विभाग ने बजाय जांच के खानापूर्ति कर मामला रफा-दफा कर दिया। बंटवारे पर निगरानी के लिए कोई सिस्टम भी नहीं बना है।

पौधरोपण को ठेंगा, हजारों पौधे दफन

वन विभाग को अरावली पर्वत श्रृंखला को हरा-भरा बनाने के लिए पिछले साल बस्सी रेन्ज के लालगढ़ वन नाका क्षेत्र के चपड़िया गांव एरिया में स्टेट प्लान के तहत वन क्षेत्र की रिजर्व जमीन पर 100 हेक्टेयर एरिया में 50 हजार पौधे लगाने थे। लेकिन करीब 10 हजार पौधों को जमीन में एक जगह खाई खोद कर दफन कर दिया गया। पौधरोपण के अलावा खाई, फेंसिंग व पत्थर की दीवार बनाने में भी भारी अनियमितता बरती गई।

मामले को पहले तो उच्चाधिकारियों ने दबा दिया। मामला तब उजागर हुआ जब विभाग के लोगों में आपसी कहासुनी और मनमुटाव हुआ। राज खुलने के बाद अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में बात करने से भी कतरा रहे हैं।

नर्सिंग स्टूडेंट्स लेंगे 333 गांव गोद

प्रदेश के सभी 333 नर्सिंग कॉलेज अब एक-एक गांव गोद लेंगे। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 18 हजार नर्सिंग स्टूडेंट्स गोद लिए हर गांव में जाएंगे और हर परिवार का फैमेली फोल्डर बनाएंगे। इसमें परिवार के नवजात से बुजुर्ग तक के सम्पूर्ण स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सभी तरह के ब्योरे होंगे।

यह छात्र गांवों के जल स्त्रोतों को साफ रखने, मौसमी बीमारियों पर उन्हें जागरूक करने जैसे काम भी करेंगे। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने सभी कॉलेजों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। गांवों को गोद लेने से वहां की हर व्यवस्था में सुधार होगा। नर्सिंग काउंसिल इस प्रोजेक्ट की पूरी निगरानी भी करेगी।

बालिकाओं के नाम होगी एफडी

आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर नवीं में पढ़ने वाली छात्राओं को अब तीन हजार रुपए की एफडी मिलेगी और दो साल बाद मय ब्याज सहित यह राशि दी जाएगी।

केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के तहत बालिकाओं के प्रोत्साहन को लेकर राष्ट्रीय योजना के तहत सत्र 2015-16 के प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से छात्रवृत्ति पोर्टल तैयार करवा रही है। इसके बाद बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय योजना के तहत राज्य सरकार एफडी के रूप में यह छात्रवृत्ति शुरू करेगी।

गांवों से शहरों में पलायन थमा

प्रदेश में गांवों से शहरों की ओर पलायन थमा है। यह उजली तस्वीर हाल ही जारी सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के आंकड़ों से सामने आई है। वर्ष 1991 में प्रदेश की ग्रामीण आबादी 75.20 प्रतिशत थी। अब 77.82 फीसदी आबादी गांवों में रह रही है।

सर्वेक्षण के अनुसार गांवों में ढाई करोड़ से ज्यादा आबादी खेती की जमीन पर निर्भर हैं। प्रदेश में 33 लाख 86 हजार 205 परिवारों के पास ही खेती के लिए जमीन है। यह कुल परिवारों का 33.13 फीसदी हिस्सा है।

कुल आबादी की 33 फीसदी यानी ढाई करोड़ आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है। यह प्रदेश के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। मनरेगा और इतनी आबादी के खेती पर निर्भर होने को ही गांवों से शहरों की ओर पलायन थमने का कारण माना जा रहा है।

जच्चा-बच्चा के लिए 'कुशल मंगल'

प्रदेश में अब जच्चा और बच्चा कुशल मंगल होंगे। इसके लिए 'कुशल-मंगल' कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अति जोखिम वाले प्रसव की स्थिति में यह कार्यक्रम मातृ मृत्यु दर रोकने में कारगर होगा।

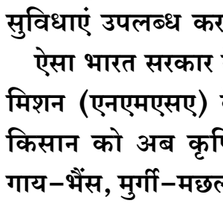

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में हर साल करीब 19 लाख 60 हजार महिलाएं गर्भधारण करती हैं। इनमें से करीब एक लाख 90 हजार महिलाएं अति जोखिम की स्थिति से गुजरती है। गर्भवती की एएनसी जांच के बाद फोन कर पूछा जाएगा कि उसे किसी तरह की समस्या तो नहीं है। किसी तरह की समस्या होने पर एएनएम उसके पास पहुंचकर तत्काल सभी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

किसानों के सभी काम एक छत के नीचे

खेती से जुड़े काम के साथ किसान अब कोई दूसरा व्यवसाय भी शुरू करना चाहता है तो उसे अब अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कृषि विभाग की ओर से ही उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।

ऐसा भारत सरकार के राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत किया जाएगा। किसान को अब कृषि विभाग भेड़-बकरी, गाय-भैंस, मुर्गी-मछली पालन और पौधरोपण के लिए भी सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसका मकसद छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम करना है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।

गांवों में जमीन का वाणिज्यिक उपयोग

गांवों की आबादी की जमीन का अब तक वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं था। राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर यह प्रावधान कर दिया है। गांव की आबादी की जमीन का वाणिज्यिक प्रयोग के लिए ग्राम पंचायत ही भूमि उपयोग परिवर्तन कर सकेगी। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो गांवों में आबादी की जमीन पर पर्यटन इकाई और हैरिटेज होटल उद्योग खुलते नजर आएंगे।

इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने राजस्थान पंचायतीराज-पर्यटन इकाईयों के लिए पंचायत क्षेत्र में आबादी भूमि का आवंटन, भूमि उपयोग परिवर्तन और नियमितिकरण नियम बनाकर अधिसूचना जारी की है।

आरटीआई से परहेज क्यों?

सुप्रीम कोर्ट का यह प्रयास है कि सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत लाया जाना चाहिए। सभी दलों को मिले चन्दे व अन्य तरह से प्राप्त आमदनी व खर्च का हिसाब-किताब सार्वजनिक करना चाहिए। कई बार इसके दुरुपयोग की खबरें भी सामने आती रही हैं।

पहले भी केन्द्रीय सूचना आयोग ने फैसला दिया था राजनीतिक दल पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा के दायरे में आते हैं, उन्हें आरटीआई के तहत मांगी सूचनाएं देनी होंगी। लेकिन सभी दलों ने फैसले की अनदेखी की। राजनेता पारदर्शिता और जवाबदेही की बातें तो खूब करते हैं, फिर उन्हें इससे परहेज क्यों है?

- प्रतिमा माथुर, अलवर

गांवों में सबका बनेगा ई-हैल्थ कार्ड

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच कर ई-स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। जांच में सामने आने वाली गंभीर बीमारियों का सरकार मुफ्त में इलाज कराएगी। इसके लिए प्रदेश में 15 अगस्त से 15 दिसम्बर तक आरोग्य राजस्थान अभियान चलाया जाएगा।

अभियान के तहत पंचायतवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इस अभियान की शुरुआत पहले गांवों से होगी।

सरपंचों के बढ़े वित्तीय स्वीकृति अधिकार

राज्य सरकार ने मनरेगा योजना में सरपंचों को वित्तीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार में बढ़ोतरी करते हुए राशि को दोगुना कर दिया है। अब सरपंच पांच लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति जारी कर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा ढाई लाख रुपए थी।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग इस बारे में जल्द ही सूचना जारी कर निर्णय को लागू करेगा।

जैविक खाद खरीदने पर मिलेगा अनुदान

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि राजस्थान में परम्परागत (जैविक) खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक किसान को 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जिससे वह जैविक खाद खरीद सकें। उन्होंने यह घोषणा पत्रकारों से बातचीत के दौरान की।

राज्य में पशुधन की स्थिति के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार 600 पशु चिकित्सालय खोलने वाली है। प्रदेश के 200 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत भी किया जाएगा। राजस्थान मंडी प्रागंण नीति में संशोधन कर किसानों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा रहा है।

सरपंचों पर हवालात का खतरा

राज्य के 465 सरपंचों पर हवालात का खतरा मंडरा रहा है। इन पर फर्जी शैक्षणिक योग्यता से चुनाव लड़ने के चलते एफआईआर दर्ज है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो हवालात जाना पड़ सकता है। प्रदेश के 746 सरपंचों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज से चुनाव लड़ने के आरोप हैं।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485